रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I —खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी, 22 1972/फाल्गुन 3, 1893

No 42] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 1972/PHALGUNA 3, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 22nd February 1972

SUBJECT.—*Import of Fruits, dried, salted or preserved all sorts, N.O.S. excluding Dates [S. No. 21(a)(ii)/IV], (ii) Dates [S. No. 21(b)/IV], (iii) Medicinal Herbs (Crude drugs) [S. No. 87-109/IV] (iv) Asafostide [S. No. 31(b)/V], and other Miscellaneous items from IRAN during January—March,* 1972.

No. 29-ITC(PN)/72.—It has been decided to grant licences for import of various commodities from Iran during January—March, 1972 to the established importers, having past imports within the prescribed basic years, as shown against each item in Annexure I to this Public Notice. The licensing policy for each item has been indicated in column 5 of the aforesaid Annexure

2 The established importers, eligible in terms of the current policy, may submit their applications to the respective licensing authority *viz* Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay or Joint Chief Controller of Imports and Exports, (Central Licensing Area), New Delhi on or before the 13th March, 1972 in the usual form and manner No past import documents are required to be produced, provided such documents were submitted to the licensing authority concerned in the past and were accepted by them for issue of licences for import of commodities from Iran indicated in Annexure I They should, however, quote details of licences obtained in the preceding two periods Where, however the established importers are applying for the first time, they are required to produce unimpeachable documents relating to past imports from Iran in respect of the items as in Annexure I for any one year within the prescribed basic years

3. It has also been decided that the importers, who are eligible in terms of Annexure to this Public Notice will also be granted licences for import of dry fruits only from *Iran* on equal value basis. They may submit their applications for import of dry fruits only from *Iran* for January—March, 1972 licensing period to Joint Chief Controller of Imports and Exports, (Central Licensing Area), New Delhi on or before the *13th March*, 1972, in the usual form and manner complete in all respects

4 The minimum value of licences for dry fruits will be Rs 1,500/- It has also been decided that those established importers who were granted minimum value licences for Rs 3,000/- for import of dry fruits from Iran when the quota percentage was 10 per cent, will continue to get minimum value licences for Rs. 1,500 notwithstanding the fact that the quota percentage has now been reduced to 4 per cent The minimum value of licences for dates Asafoetida and gums and resins, licensable quota percentage basis, will be Rs 250/- for three months It is, however clarified that in the case of transfer/division of quota by established importers relating to above cases the succeeding parties will be entitled to get licences in proportion to their share in approved quota of the original firm as provided in para 45(2) of the I T C Hand Book of Rules and Procedure, 1971 Where the licences are issued on equal value basis in terms of this Public Notice, the entitlement of each party is to be divided proportionately among the split up concerns of the parent firm, in case of transfer/division of quota rights

5 It may be noted that no double benefit will be given in respect of dry fruits, which is permitted for import both under Annexure I and Annexure II The applicants for dry fruits should submit only one application either in terms of Annexure I or in terms of Annexure II, and they should clearly mention in their application that they have applied in one capacity only and not under both

6 Established importers, holding quota certificates for Crude Drugs on General Currency Area, which includes Iran, who are desirous of claiming licences under this policy, have to have past imports of Crude drugs from Iran in a different basic year than the one for which they hold quota certificates on General Currency Area Evidence to this effect should be produced to the licensing authority, so that no double benefit accrues in respect of the same past imports

7 Licensing will be done within the monetary limit fixed for each item All incomplete applications are liable to be rejected

8 Import licences granted in eligible cases will be valid for import from Iran either by Sailing Vessels or Land route In the case of dry fruits, import will also be allowed by Steamships upto the full face value of the licence and such imports will be on c i f basis In the case of 'Dates' import should be effected by Sailing Vessels or Land route upto 60 per cent of the face value of the licences and the balance 40 per cent by other means *viz.* Steamship, if the licensees so desire at any time during the validity period of the licences

9 **Import licences issued in pursuance of this Public Notice will be valid for six months and will not be extended.**

ANNEXURE I

Description and No. & Part of the I.T.C. Schedule	Licensing Authority	Validity of licences	Basis of eligibility	Licensing Policy.
1	2	3	4	5
(i) Dry Fruits, 21 (B) (ii)/IV	Jt. CCI & E (CI.A), New Delhi & Jt. CCI & E, Bombay.	Six months.	Applications from established importers having past imports of dry fruits from Iran within the period from 1951-52 to 1968-69 will be considered	4% of half of best years imports during the basic period, subject to a minimum of Rs. 1,500/- Minimum value licences for Rs. 1,500/- will also be admissible to those established importers, who were getting minimum value licences for Rs. 3,000/- for import of dry fruits from Iran when th quota percentage was 10% notwithstanding the fact that the quota percentage has now been reduced to 4%
(ii) Dates. 21 (b)/IV	Do.	Do.	Applications from established importers having past imports of Dates from Iran within the period from 1951-52 to 1968-69 will be considered.	25% of half of best years' imports during the basic period.
(iii) Red Oxide 34 37(d)/V	Do.	Do.	Applications from established importers having past imports of Red Oxide from Iran within the period from 1951-52 to 1968-69 will be considered.	On equal value basis.
(iv) Asafoetida 31(b)/V.	Do.	Do.	Applications from established importers having past imports of Asafoetida from Iran within the period 1951-52 to 1968-69 will be considered.	37½% of half of best years' imports during the basic period.

1	2	3	4	5
(v) Medicinal Herbs, Crude Drugs listed in Annexure I & II of Appendix 19 to the Red Book for April, 1971—March, 1972. 87-109—IV.	Jt. CCI & E, (CLA), New Delhi & Jt. CCI & E, Bombay.	Six months.	Applications from established importers having past imports of Crude Drugs from Iran with in the period from 1951-52 to 1968-69 will be considered.	On equal value basis.
(vi) Gums, Resins and Lac all sorts, n.o.s. excluding olibanum and frankincense.	Do.	Do.	Applications from established importers having past imports of these items from Iran within the period from 1951-52 to 1968-69 will be considered.	10% of half of best years' imports during the basic period.

ANNEXURE II

Description and S.No & part of the ITC Schedule	Licensing Authority	Validity of licences	Basis of eligibility	Licensing policy
1	2	3	4	5
Dry fruits. 21(a) (ii)/IV	Jt CCI & E, (CLA) New Delhi	Six months	*Ad-hoc* licences for imports of dry fruits from Iran will be issued to — (i) Established Importers who have imports of fresh fruits to their credit from Afghanistan during the five years ended 30-6-57. (ii) Established importers who have imports of fresh fruits to their credit from any of the countries in the 'General Area' including Pakistan but excluding Afghanistan, during the period from 1951-52 to 1968-69. (iii) Established importers who have imports of fresh fruits to their credit from any of the countries in the General Area' including Pakistan but excluding Afghanistan during the period from 1945-46 to 1950-51, provided these imports had been accepted by the licensing authority for grant of *ad-hoc* licences for import of fresh fruits from Pakistan during 1960 to 1964	On equal value basis

1	2	3	4	5
		(iv) Established importers who have imports of dry fruits to their credit from Pakistan during the period from 1951-52 to 1968-69.		
		(v) Co-operative Societies dealing in fresh fruits, subject to the production of a fresh certificate of registration from the concerned Registrat, Co-operative Societies, that they are still dealing in fresh fruits.		

M. M. SEN,

Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1972

विषय :—जनवरी-मार्च, 1972 में फलों, मेवे, नमकीन अथवा हर प्रकार के परिरक्षित खजूरों को छोड़ कर अन्यथा जो उल्लिखित नहीं हैं [क्र सं० 21(ए)(2)/4], (ii) खजूर [क्र० सं० 21(बी)/4], (iii) औषधीय बूटियां (अपरिष्कृत औषधियां) [क्र० सं० 87-109-4], (iv) हींग [क्र० सं० 31(बी)/5] तथा अन्य विविध मदों का ईरान से आयात।

संख्या : 29—आई०टी०सी० (पी०एन०)/72.—प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध 1 के लिए दिखाई गई मदों में से हर एक अलग मद के लिए जनवरी—मार्च, 1972 की अवधि के लिए संस्थापित आयातकों को, जिन्होंने विहित आधारभूत वर्ष में आयात किया था, ईरान से विभिन्न पदार्थों के आयात के लिए लाइसेंस देने का निश्चय किया गया है। हर एक मद के लिए लाइसेंस देने की नीति वर्णित अनुबन्ध के कालम 5 में बताई गई है।

2. वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत योग्य संस्थापित आयातकों को चाहिए कि वे अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी अथवा संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई या संयुक्त मुख्य नियंत्रक (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र), नई दिल्ली को विहित प्रपत्र में और विधि रूप में 13 मार्च, 1972 तक अथवा उससे पहले भेज दें। पिछले किए गए आयात से सम्बद्ध निहित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि उन लिखित दस्तावेजों को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को ईरान से पदार्थों के आयात लाइसेंसों के लिए, जिन पदार्थों का उल्लेख अनुबन्ध 1 में किया गया है, पहले भेजा गया था और वे मंजूर कर लिए गए थे। परन्तु, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि उन्होंने पूर्वगत दो अवधियों में जो लाइसेंस लिए थे, उनका ब्यौरा दें। परन्तु जहां संस्थापित आयातक पहली बार पत्र भेज रहे हैं, उन्हें चाहिए कि विहित आधार भूत वर्ष में से किसी भी एक वर्ष में ईरान से आयात की गई मदों का, जिनका ब्यौरा अनुबन्ध 1 में दिया गया है, उससे सम्बन्धित संगयातीत दस्तावेजों को प्रस्तुत करें।

3. यह भी निश्चय किया गया है कि ऐसे आयातक, जो प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध 2 के अन्तर्गत योग्य हैं, उन्हें केवल ईरान से समान मूल्य के आधार पर सूखे फलों के आयात के लिए लाइसेंस भी दिए जाएंगे। उन्हें चाहिए कि वे जनवरी—मार्च, 1972 की लाइसेंस अवधि के लिए ईरान से केवल सूखे फलों के आयात के लिए आवेदन-पत्रों को हर प्रकार से पूरा करके विहित प्रपत्र में और विधि रूप से संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र), नई दिल्ली को 13 मार्च, 1972 तक अथवा उससे पहले भेज दें।

4. सूखे फलों के लिए लाइसेंसों का न्यूनतम मूल्य 1,500 रुपये होगा । इस बात का भी निश्चय किया गया है कि जिस समय कोटा प्रतिशतता 10 प्रतिशत थी, उन संस्थापित आयातकों को जिन्हे ईरान से सूखे फलों के आयात के लिए न्यूनतम मूल्य 3,000 रुपये के लिए लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे, इसके बावजूद कि अब कोटा प्रति शतता घटा कर 4 प्रतिशत कर दी गई है, वे न्यूनतम मूल्य 1500 रुपये के लिए लाइसेंस प्राप्त करते रहेंगे । खजूर, हीग और गोंद तथा रेजिन्स जो कोटा प्रतिशतता के आधार पर लाइसेंस के योग्य है, उनके लिए तीन मास के लिए लाइसेंस का न्यूनतम मूल्य 250 रुपये होगा । लेकिन, इस बात का स्पष्टीकरण किया जाता है कि उपयुक्त मामलों से सम्बन्धित संस्थापित आयातकों द्वारा कोटा के स्थानान्तरण/विभाजन की स्थिति में आयात व्यापार नियंत्रण नियम और कार्यविधि, हैंडबुक, 1970 की कंडिका 45(2) मे दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार अनुवर्ती पार्टिया मूल फर्म के स्वीकृत कोटे में से अपने हिस्से के अनुपात में लाइसेंस प्राप्त करने के अधिकारी होंगी । प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुसार जहां सामान्य मूल्य के आधार पर लाइसेंस दिए जाते है, कोटा अधिकारों के स्थानान्तरण/विभाजन होने की स्थिति में मूल फर्म से सम्बन्धित विपार्टी के भीतर हर एक पार्टी के हक का अनुपातिक रूप से आबंटन किया जाता है ।

5. यह ध्यान रहे कि सूखे फल जो अनुबन्ध 1 तथा 2 दोनों के अन्तर्गत आयात के लिए अनुज्ञप्त है, इनके सम्बन्ध में दोनों प्रकार के लाभ नही दिए जाएंगे । सूखे फलों के आयात करने वाले आवेदकों को चाहिए कि वे या तो अनुबन्ध 1 की शर्तों के अनुसार अथवा अनुबन्ध 2 की शर्तों के अनुसार केवल एक ही आवेदन पत्र भेजे और उन्हे चाहिए कि वे अपने आवेदन पत्रों में स्पष्ट रूप से लिख दें कि उन्होंने केवल एक के लिए आवेदन पत्र भेजा है न कि दोनों के लिए ।

6. सामान्य मुद्रा क्षेत्र, जिसमे ईरान सम्मिलित है, से अपरिष्कृत भेषजों के लिए कोटाधारी संस्थापित आयातक जो इस नीति के अन्तगत लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक है, उनके लिए यह अनिवार्य है कि जिस वर्ष के लिए उनके पास सामान्य मुद्रा क्षेत्र के लिए कोटा प्रमाणपत्र है, उससे भिन्न किसी एक मूल वर्ष मे, भूतकाल में उन्होंने ईरान से अपरिष्कृत भेषजों का आयात किया हो । इस सम्बन्ध मे, लाइसेन्स प्राधिकारी को साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि भूतकाल मे किए गए एक ही प्रकार के आयातों के लिए दो तरफा लाभ उपार्जित न किया जाए ।

7. हर एक मद की निश्चित मौद्रिक सीमा के भीतर ही लाइसेंस दिया जाएगा । सभी अधूरे आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

8. वैध मामलों में दिए जाने वाले आयात लाइसेंसों को ईरान से नौप्रस्थान पोतों अथवा स्थल मार्गों से आयात के लिए वैध माना जाएगा । सूखे फलों के मामले में, लाइसेंसों के पूरे अंकित मूल्य तक पोतनाव द्वारा आयात करने की भी इजाजत होगी और ऐसे आयातों का आधार लागत-बीमा भाड़ा होगा । खजूरों के आयात के मामले मे, 60 प्रतिशत तक के लाइसेंस के अंकित मूल्य तक आयात नौप्रस्थान पोतों अथवा स्थल मार्गों द्वारा होना चाहिए और यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस की वैध अवधि के दौरान किसी भी समय आयात करने के इच्छुक हैं तो शेष 40 प्रतिशत दूसरे साधनों जैसे पोत नाव द्वारा कर सकते हैं ।

9. प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के विषय मे जारी किए गए लाइसेंस छ: मास के लिए वैध होंगे तथा भविष्य मे उनकी अवधि नही बढाई जाएगी ।

अनुबंध ।

विवरण तथा मं० और अनुसूची का खंड	लाइसेंस प्राधिकारी	लाइसेंसों की वैधता	पात्रता का आधार	लाइसेंस नीति
1	2	3	4	5
(1) सूखे फल 21(ए)(2)4	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र) नई दिल्ली, तथा संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, बम्बई ।	छः मास	उन संस्थापित आयातकों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने पहले ईरान से 1951–52 से लेकर 1968–69 की अवधि के दौरान सूखे फलों का आयात किया था ।	आधार-भूत अवधि में सर्वोत्तम वर्ष के आधे के आयात का 5 प्रतिशत । इसके अधीन कम से कम 1500 रु० का । वे संस्थापित आयातक भी न्यूनतम मूल्य 1,500 रु० के लिए लाइसेंस दिये जाने के योग्य होंगे जो उस समय जबकि कोटा प्रतिशतता 10 प्रतिशत थी, ईरान से सूखे फलों के आयात के लिए न्यूनतम मूल्य 3,000 रु० के लिए लाइसेंस प्राप्त करते रहे थे इसके बावजूद कि अब कोटा प्रतिशतता घट कर 4 प्रतिशत कर दी गई है ।
(2) खजूर 21(बी)/4	वही	वही	उन संस्थापित आयातकों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने पहले ईरान से 1951–52 से लेकर 1968–69 की अवधि के दौरान खजूरों का आयात किया था ।	आधार मूल अवधि में सर्वोत्तम वर्ष के आधे के आयात का 25 प्रतिशत ।

1	2	3	4	5
(3) रैड आक्साइड 34–37 बी/5	संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र) नई दिल्ली तथा संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात, बम्बई ।	छ मास	उन संस्थापित आयातकों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने पहले ईरान से 1951–52 से लेकर 1968–69 की अवधि के दौरान रैड आक्साइड का आयात किया था ।	सामान्य के मूल्य आधार पर ।
(4) हींग 31 (बी)/5	वही	वही	उन संस्थापित आयातकों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने पहले ईरान से 1951–52 से लेकर 1968–69 की अवधि के दौरान हींग का आयात किया था ।	आधार भूत अवधि में सर्वोत्तम वर्ष के आधे के आयात का 3 $\frac{1}{2}$%
(5) औषधीय बूटियां अपरिष्कृत औषधियां जिनकी सूची अप्रैल, 1971-मार्च 1972 की रैड-बुक के परिशिष्ट 19 के अनुबंध 1 तथा 2 में दी गई है । 87–109/4	वही	वही	उन संस्थापित आयतकों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने पहले ईरान से 1951–52 से लेकर 1968–69 की अवधि के दौरान अपरिष्कृत औषधियों का आयात किया था ।	सामान्य मूल्य के आधार पर
(6) गोंद रेजिस तथा लाख हर किस्म के जो अन्यथा रूप से उल्लखित नहीं हैं लोहबान बहने वाला गोंद को छोड़ कर । 7/5	वही	वही	उन संस्थापित आयातकों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने पहले ईरान से 1968–69 की अवधि के दौरान इन मदों का आयात किया था ।	आधार भूत अवधि में सर्वोत्तम वर्ष के आधे से आयात 5 10 प्रतिशत ।

अनुबंध 2

विवरण तथा फ०सं० और आई०टी० सी अनुसूची का खंड	लाइसेंस प्राधिकारी	लाइसेंस की वैधता	पात्रता का आधार	लाइसेंस दन की शर्तें।
1	2	3	4	5
सूखे फल 21(ए)/(2)/1	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र), नई दिल्ली	छः मास	ईरान से सूखे फलों के पदर्थ आयात लाइसेंस दन को दिए जायेंगे :- (1) उन संस्थापित आयातकों को जिन्होंने अफगानिस्तान से ताजे फलों का आयात पांच वर्षों के दौरान अपने खाते से किया था जिसका अन्त 30-6-57 को हुआ। (2) उन संस्थापित आयातकों को जिन्होने ताजे फलों का आयात 1951-52 से लेकर 1968-69 तक की अवधि के दौरान किसी सामान्य क्षेत्र मे आने वाले देशों मे अफगानिस्तान को छोड़कर किन्तु पाकिस्तान शामिल है, अपने खाते से किया हो। (3) उन संस्थापित आयातको को जिनका ताजे फलों का आयात 1945-46 1950-51 त	सामान्य मूल्य के आधार पर

1	2	3	4	5
			अवधि के दौरान किसी सामान्य क्षेत्र मे आने वाले देशों में अफगानिस्तान को छोड़कर, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, अपने खाते से किया हो बशर्ते कि 1960 से 1964 के दौरान पाकिस्तान से किए जाने वाले तदर्थ ताजे फलों के आयात लाइसेंसों को लाइसेंस प्राधिकारी ने मंजूर कर लिया था ।	
			(4) उन संस्थापित आयातकों को जिनका ताजे फलों का आयात 1951–52 से लेकर 1968–69 की अवधि के दौरान उनके खाते में हो ।	
			(5) सहयोग समितियां जो ताजे फलों का व्यापार करती है बशर्ते कि वे संबंधित पंजीयक, सहकारी समितियों से पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वे अभी भी ताजे फलों का व्यापार कर रही हैं ।	

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972